13.5.16 आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत नैनोरबर पर पेश हुयी/ वकील उभयपक्ष उपस्थित/ प्रार्थना पत्र पर उन्हें सुना गया/ पत्रावली का अवलोकन किया/ सायला ने निवेदन किया है कि गैर सायलान बिना बटवारा कराये विवादित आराजी पर निर्माण करना चाहते है/ उसको काश्त करने से रोकते है व बेदखल करना चाहते हैं/ अतः गैर सायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे/

गैर सायलान के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC पेश कर निवेदन किया है कि सायला विवादित आराजी पर निर्माण करना चाहती है जिसका उसे अधिकार नही है/ सायला को पाबन्द किया जावे कि वह बिना बटवारा कराये विवादित आराजी पर निर्माण कार्य नही करे/

पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायला व गैरसायलान विवादित आराजी के संयुक्त रूप से सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है/ संयुक्त सह खातेदार काश्तकार का आराजी के प्रत्येक भाग

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

Crim - 1

अदालत ______ मुकाम ______

रामबेटी ______ बनाम ______ रामस्वरूप

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
पर कब्जा माना जाता है इसलिये कोई भी पक्षकार किसी विशेष भाग का बिना बटवारा कराये प्रयोग नहीं कर सकता है। अत: आदेश है कि प्रार्थना पत्र घायला एवं प्रा. पत्र जैर घायलान धारा 151 CPC स्वीकार कर उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 572, 573, 574, 575, 578, 581, 582 व 615 वाके ग्राम मोहल्ली का पुरा तहसील धौलपुर की रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैशल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज.)	

Scanned with CamScanner